

मांग संख्या 73

राज्य सभा

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | बजट 2003-2004 | | | संशोधित 2003-2004 | | | बजट 2004-2005 | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | ... | 84.52 | 84.52 | ... | 92.25 | 92.25 | ... | 90.11 | 90.11 | |
| पूंजी | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| जोड़ | ... | 84.52 | 84.52 | ... | 92.25 | 92.25 | ... | 90.11 | 90.11 | |
| संसद-राज्य सभा | | | | | | | | | | |
| 1. सभापति और उप-सभापति | 2011 | ... | 0.18 | 0.18 | ... | 0.37 | 0.37 | ... | 0.20 | 0.20 |
| 2. विपक्ष के नेता और उनका सचिवालय | 2011 | ... | 0.29 | 0.29 | ... | 0.29 | 0.29 | ... | 0.30 | 0.30 |
| 3. सदस्य | 2011 | ... | 59.87 | 59.87 | ... | 65.00 | 65.00 | ... | 61.20 | 61.20 |
| 4. सचिवालय | 2011 | ... | 22.64 | 22.64 | ... | 25.04 | 25.04 | ... | 26.88 | 26.88 |
| 5. मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेताओं, उपनेताओं तथा मुख्य सचेतकों का सचिवालय | 2011 | ... | 0.08 | 0.08 | ... | 0.09 | 0.09 | ... | 0.07 | 0.07 |
| 6. आईपीयू के अध्यक्ष का कार्यालय | 2011 | ... | 0.96 | 0.96 | ... | 0.96 | 0.96 | ... | 0.96 | 0.96 |
| 7. अन्य व्यय | 2011 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 |
| कुल जोड़ | ... | ... | 84.52 | 84.52 | ... | 92.25 | 92.25 | ... | 90.11 | 90.11 |

इसमें राज्य सभा के सभापति, उप-सभापति, राज्य सभा में विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय, मान्यताप्राप्त दलों और समूहों के नेताओं, उप-नेताओं और मुख्य सचेतकों के सचिवालय, आई.पी.यू. के अध्यक्ष के कार्यालय, राज्य सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा सचिवालय के वेतन तथा यात्रा व्यय इत्यादि का प्रावधान किया गया है।